बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या–04/2023

बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–04/2023 के अन्तर्गत चालक पद हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि:–

1. चालक पद हेतु अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। तदुपरान्त अभ्यर्थियों की व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जायेगी।
2. व्यवहारिक जाँच परीक्षा में सफल पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी।
3. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश–पत्र बिहार विधान सभा की वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर दिनांक 20.01.2025 से 26.01.2025 तक उपलब्ध रहेगा। आवेदक अपना Application No./Mobile No. एवं Date of Birth के द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदकों को डाक से (By Post) प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

4. आवेदकों का साक्षात्कार बिहार विधान सभा सचिवालय के मुख्य भवन में दिनांक 27.01.2025 से 12.02.2025 तक (रविवार एवं बसंत पंचमी को घोषित अवकाश को छोड़कर) होगा।
5. **आवेदक प्रवेश पत्र (Admit Card) के साथ वाहन चालन (एल. एम. वी./एच. एम.वी.) का वैध लाइसेंस की मूल प्रति तथा एक प्रपत्र (जिसे आवेदन करते समय डाउनलोड किया गया हो) की छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे।**
6. आवेदक प्रवेश–पत्र पर अंकित अनुदेशों का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. आवेदकों को उक्त स्थल पर तलाशी (Frisking) की प्रक्रिया से गुजरना होगा। साक्षात्कार के समय प्रवेश पत्र के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन–बटन होल कैमरा, स्कैनर आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री साक्षात्कार स्थल पर अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
8. आवेदक अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।
9. यदि किसी आवेदक का प्रवेश–पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो तो वे अपना ऑनलाईन आवेदन की प्रति संलग्न कर **Email ID : helpdesk.bvs24@gmail.com** अथवा मोबाईल संख्या **: +91 94700-27525 / +91 94700-27448** पर संपर्क कर सकते हैं।
10. प्रवेश–पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। प्रवेश–पत्र निर्गत होने से आवेदक की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना तथा उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
11. जो आवेदक साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
12. व्यवहारिक जांच परीक्षा के संबंध में सूचना अलग से प्रदर्शित की जायेगी।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति हों बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या : **0612–2215709** तथा ई–मेल : **secretarybvs@gmail.com** पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

17/01/2025

अवर सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।